न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 126 / 2018

उनवान

रोडू पुत्र दयाल जाति भांबी नि. बैवन्जा, नसीराबाद
— — वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
प्रतिवादी :– जरिये तहसीलदार नसीराबाद

1. गौरी पत्नी दयाल,
2. मन्नी,
3. चन्ता,
4. शीला,
5. कानूडी,
6. सीता,
7. रेखा पि. दयाल जाति भांबी नि. बैवन्जा, नसीराबाद
प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री रवि चौधरी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

–: निर्णय :– दिनांक :– 10.7.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बैवन्जा में वादी व प्रफोर्मा के पूर्वज मांगीलाल उर्फ मांगू पुत्र गिरधारी के कब्जे काश्त की भूमि है। मांगीलाल की मृत्यु होने के बाद आराजी मुतनाजा दयाल पुत्र मांगीलाल की एकल खातेदारी व काश्त की हुयी। आराजी मुतनाजा का विवरण निम्न प्रकार है :–

हाल ख.न.	रकबा	साबिक ख.न.	रकबा	साबिक ख.न.	रकबा
650	1.10	330 मिन	1.10	729	5–3–0
651	0.41	329	0.41	735 अ 735 ब 737 आंशिक	0–2–0 0–5–0 1–17–0
652	0.62	326 मिन	0.62	739 आशिंक	33–15–01
653	0.18	327 मिन	0.18	739 आशिंक	33–15–01
654	0.65	326 मिन	0.65	737 आशिंक	59–5–0
659	0.02	335	0.02	[illegible] आशिंक	33–15–01
660	0.15	336	0.15	[illegible] आशिंक	33–15–01
661	0.48	337 मिन	0.48	[illegible] आशिंक	33–15–01

उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार वादी व प्रतिवादीगण समान रूप से निहित हुये है। उक्त आराजी में वादी का 1/8 हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा पुश्तैनी हे जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:59:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वादी व परिवारजन का कब्जा चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 650, 651, 652, 653, 654, 659, 660, 661 वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा कभी भी वादी के नाम खातेदार दर्ज नही थी। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज विधिवत होने के कारण वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी को विरासत से प्राप्त हुयी है ?

— वादी

2. आया आराजी मुतननाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

— वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने व वर्तमान इन्द्राज विधिवत होने से वाद खारिज योग्य है ?

— प्रतिवादी संख्या 1

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व वादी रोडू का शपथ पत्र पेश किया।

राज. पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 739 रकबा 31–15–0 सन् फसली 1359 में मांगीलाल पुत्र गिरधारी के नाम काश्तकार के रूप में दर्ज है। सम्वत् 2021 से 2024 की जमाबंदी में भी उक्त आराजी मांगू पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज है। वादी द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 739 का आंशिक मिलान व राजस्व अभिलेख ही पेश किया है। शेष रकबे की स्थिति वादी द्वारा पेश नही की गयी है। चौसाला खसरा नम्बर 739 अंतिम चौसाला जमाबंदी में सिवायचक दर्ज है। शेष चौसाला खसरा नम्बर खातेदारी होने का कोई प्रमाण वादी द्वारा पेश नही किये गये है। वादी/पूर्वज का कब्जा उक्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से यदा–कदा रहा है। वादी का कथन है कि उक्त आराजी उसकी पुश्तैनी है किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख अनुसार आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी, वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में सिवायचक दर्ज है। भूमि वादी की पुश्तेनी सिद्व नही होती है। तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 व 3 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन से [illegible] मुतनाजा वादी की पुश्तेनी सिद्व नही होती है। आराजी मुतनाजा अंतिम चौ[illegible]बंदी, वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख मे सिवायचक [illegible] पूर्व राजस्व अभिलेख में खातेदारी होने का कोई ठोस अभिलेखिय दस्तावे[illegible] नही किया है। वादी के पूर्वज के नाम उग्त आराजी कभी भी खातेदारी नही रही। वादी/पूर्वज का कब्जा उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:59:20 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से यदा–कदा रहा है। खण्डित कब्जे काश्त के आधार पर सिवायचक आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। तनकी विरू, वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 650, 651, 652, 653, 654, 659, 660, 661 पर वाद का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:59:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रोडू बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 126/2018
पेश करने की दिनांक — 23.08.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक अभिषेक जैन मुददई अभिभाषक रवि चौधरी व राज. पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 650, 651, 652, 653, 654, 659, 660, 661 पर वाद का वाद "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 7 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:59:20 IST
Reason: SelfAttested